खाद्य व्यापारियों को दिया फूड सेफ्टी प्रशिक्षण

बांसवाड़ा, (निसं)। सज्जनगढ़ उपखण्ड के ग्राम मुख्यालय नगर सज्जनगढ़ खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापारियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से फूड सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कस्बे के 60 से अधिक होटल-रेस्टोरेंट संचालक, किराना व्यवसायी, डेयरी संचालक, मिठाई निर्माता और अन्य खाद्य कारोबार से जुडे प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एफएसएसएआई गाइडलाइंस और व्यावहारिक हाइजीन प्रथाओं से अवगत कराना रहा ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। प्रशिक्षण सत्र का संचालन एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित मास्टर ट्रेनर कुलभूषण भाटी ने करते हुए व्यापारियों को तकनीकी और कानूनी पहलुओं से अवगत कराया वहीं रोजमर्रा के काम में गुणवत्ता और साफ-सफाई बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अब केवल दस्तावेजी औपचारिकता नहीं रही है, यह अब समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बन गई है। ग्राहक जिस भरोसे से आपके प्रतिष्ठान से खाद्य सामग्री खरीदता है।

'पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए'

- **बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई**

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पर्यटन विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि पर्यटन के कारण उदयपुर ने पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

नाईट टूरिज्म की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि उदयपुर में नाईट टूरिज्म के लिहाज से लोक परिवहन व्यवस्था, बाजार और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार की बजट घोषणा भी है और इसके लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। इस दौरान पर्यटन स्थलों का समय बढ़ाने, कैफेटेरिया, पर्यटन स्थलों पर लाइटिंग, नाइट मार्केट आदि पर चर्चा की गई।

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से यातायात प्रबंधन पर चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फतहपुरा चौराहे पर एआई बेस्ड ट्रेफिक मैनेजमेंट लागू करने के निर्देश दिए। यह व्यवस्था एक माह में लागू हो जाएगी। एआई सिस्टम वास्तविक समय में यातायात का विश्लेषण करेगा। यदि किसी विशेष दिशा में वाहनों की संख्या अधिक है, तो उस दिशा के लिए हरी बत्ती की अवधि बढ़ जाएगी। इससे जाम से छुटकारा मिलेगा। जिला कलक्टर ने सुझाव दिया कि ओल्ड सिटी और फतहसागर क्षेत्र को वीकेंड पर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया जा सकता है। इससे पर्यटकों को घूमने में अधिक सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी।

वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलक्टर ने संभाग के चित्तौड़गढ़, राजसमंद व अन्य जिलों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट प्लान तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने डीएफओ को निर्देशित किया कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट प्लान एक सप्ताह में तैयार किया जाए और इसे प्रमुख होटलों एवं पर्यटन स्थलों पर लगवाया जाए, ताकि पर्यटक आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्लान में प्रत्येक वन्य क्षेत्र की विशेषता, खुलने का समय, किराया सूची आदि को ध्यान में रखा जाए। डीएफओ को सज्जनगढ़ के घुमावदार रास्तों में लगे कन्वेक्स मिरर (सुरक्षा दर्पण) एक सप्ताह में ठीक करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में पर्यटन थाना की प्रभावी मॉनिटरिंग और लपकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने एक माह के भीतर सभी पर्यटन स्थलों के बाहर आर्टिस्टिक संकेतक लगवाने के भी निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को स्थलों की पहचान करने में आसानी हो। पर्यटन थाना में उपलब्ध स्टाफ के बारे में जानकारी लेते हुए पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए। पर्यटन स्थलों पर सुविधाघरों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए जिला कलक्टर ने नगर निगम और यूडीए आयुक्त को सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन पर्यटन स्थलों पर सुविधाघर बने हुए हैं, उनकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और जहां आवश्यक हो तुरंत मरम्मत करवाई जाए।बैठक में पर्यटन थाना, ऑटो स्टैंड और ऑटो किराया निर्धारण पर चर्चा करते हुए ऑटो किराया निर्धारित करने, ऑटो चालकों की यूनिफॉर्म, नंबर और नेम प्लेट अंकित करवाने का प्रस्ताव रखा गया।

इस पर जिला कलक्टर ने ऑटो चालक यूनियन, पर्यटन, प्रशासन, परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस के प्रतिनिधियों को बैठक कर इस दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम (प्रशासन) दीपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, यूडीए कमिश्नर राहुल जैन, पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, डिप्टी एसपी ट्रेफिक अशोक आंजणा, डीएफओ सुनील कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक

राजसमंद, (निसं)। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिसमें उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले, एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा, राजसमंद एसडीएम बृजेश गुप्ता, नाथद्वारा एसडीएम रक्षा पारीक, सहायक निदेशक लोक सेवाएं लतिका पालीवाल, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, नाथद्वारा पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, एनएचएआई के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2०25 में प्रभावी रूप से पौधारोपण करने और पौधों को संरक्षित ढंग से बडा करने पर चर्चा हुई। जिले में इस बार समग्र रूप से 2० लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख विभागों पर गौर करें तो जिला परिषद सीईओ बैरवा ने बैठक में बताया कि विभाग से 3.83 लाख का टारगेट मिला है लेकिन विभाग द्वारा 4.26 लाख पौधों का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। आत्मा, मोही और कुछ अन्य पंचायतों में अभी से उत्कृष्ट तैयारियां की है।

डॉ. एस. अय्यप्पन को पुष्पांजलि अर्पित की

उदयपुर, (कासं)। महाराणा प्रताप कृषि प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के संघटक मत्स्यकी महाविद्यालय परिवार की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक एवं प्रख्यात मत्स्य वैज्ञानिक डॉ. एस. अय्यप्पन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों डॉ अय्यपन की कावेरी नदी में जल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे 7 मई को हमेशा की तरह ध्यान अर्चना के लिए घर से बाहर गए थे और 10 मई को श्रीरंगपटना, मैसूर में उनकी मृत्यु का पता चला। डॉ अय्यपनअपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न उच्च पदों के दायित्व का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया। आईसीएआर में महानिदेशक का पद संभालने के पूर्व केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थान मुंबई, केंद्रीय मीठा जल कृषि संस्थान भुवनेश्वर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड जैसे उच्च संस्थाओं के शीर्ष पद पर रहे।

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/182

चूंकि प्रार्थी श्री Hriday Kant Dewan, 2-B Sukhdevi Nagar Saint James School Bedla Udaipur-313011 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सेतु इनिशिएटिवस, 2-B Sukhdevi Nagar Oppo. Saint James School Bedla Udaipur, Rajasthan -313011 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है। में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 23.07.2025

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

कार्यालय पंचायत समिति भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

क्रमांक:-पंसभी./लेखा/ई-टेण्डर/2025-26/57-58 दिनांक:-13.05.2025

ऑन लाईन ई- निविदा सूचना 2025-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति भीम के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में वित्तिय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य सभी विकास योजनाओं में कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान GST अधिनियम 2017/GST के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेब साईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है जिसके NIB Code-ZRR2526A0076 व UBN Code-ZRR2526GLRC00118 TO ZRR2526GLRC00152 तक है। निविदा की विस्तृत सूचनाएं एवं शर्ते वेबसाईट पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाने की अन्तिम तिथि 30.05.2025 व समय प्रातः 10 बजे से 12 तक।

प्रधान पंचायत समिति,भीम — **विकास अधिकारी** पंचायत समिति,भीम

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F7 (12) PLAN/LANDUSE/2025-26/768 दिनांक: 13/5/2025

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम ने सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद/व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में प्रदत आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण उपयोग परिवर्तन बाबत विचाराधीन है-

क्र. स.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्री दिनेश ठाकुर पिता श्री नानक राम ठाकुर	न्यास/ प्राधिकरण की प्रतापनगर योजना	ब्लॉक-सी	11+ 12	1800.00 वर्गफीट	न्यू आर.टी.ओ. ऑफिस से प्रतापनगर जाने वाली 200 फीट सडक पर हाईड्रो मेन सेल्स एण्ड सर्विस के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो न्यास कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव-उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

करंट से संविदाकर्मी की मौत

उदयपुर, (कासं)। ऋषभदेव कस्बे में विद्युत लाईन पर काम करने के दौरान करंट लगने से झुलसने पर संविदा विद्युतकर्मी की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सवेरे ऋषभदेव कस्बे के कागदर पाटिया पानवा फला जीएसएस पर काम करते समय करंट लगने से सविंदा विद्युत कर्मी खाण्डी ओरवरी निवासी दीपक (41) पुत्र भेरा मीणा की मौत हो गई। सवेरे दीपक जीएसएस पर काम कर रहा था। अचानक करंट प्रवार होने से करंट लगने पर वह झुलस गया। इसकी सूचना मिलने पर ऋषभदेव थाने से एएसआई श्यामसुन्दर नागदा ने मौके पर पहुंच कर विद्युत कर्मियों की मदद से उसे निचे उतार कर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर आक्रोष व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों से परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी व मुआवजा देने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया।

भूमि पूजन

कपासन, (निसं)। नगरपालिका कपासन द्वारा शिवाजी चोक कपासन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्थापित कार्य करने का कार्य भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अर्जुनलाल व नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी, जी एस नंदकिशोर टेलर ,पूर्व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रमोद बारेगामा, पूर्व जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी लाल जीनगर, डीएसपी हरजीलाल यादव आदि मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत विसमा पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर

क्रमांक:-04 दिनांक-14.5.2025

-:ई निविदा सूचना -01/2024-25:-

इस ग्राम पंचायत में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत निम्नाकित कार्यो की ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	UBN No-
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विसमा (दो कमरे निर्माण कार्य)।	ZUD2526WSOB00191

सरपंच ग्राम पंचायत विसमा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.) — **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत विसमा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत सामल पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रापसा/2025-26/DMFT/07 दिनांक-14.5.2025

-:ई निविदा सूचना -01/2024-25:-

इस ग्राम पंचायत में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य सामल विद्यालय हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00129 के माध्यम से ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत सामल पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.) — **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत सामल पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत बोखाड़ा पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-09 दिनांक-13.5.2025

-:ई निविदा सूचना -01/2024-25:-

ग्राम पंचायत बोखाड़ा में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00173 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत बोखाड़ा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.) — **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत बोखाड़ा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

एकात्म मानवदर्शन का हीरक जयन्ती समारोह 4-5 जून को

उदयपुर, (कासं)। प्रसिद्ध चिंतक व विचारक, भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त एकात्म मानवदर्शन के साठ वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 4-5 जून को उदयपुर में दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवदर्शन-हीरक जयंती समारोह आयोजित होगा।

समारोह के आयोजन को लेकर जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ के गेस्ट हाउस के सभागार में तैयारी बैठक का आयोजन किया । बैठक को सम्बोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष , पूर्व कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ने 4-5 जून 1964 में सर्वप्रथम उदयपुर के भूपाल नोबल्स स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग में ही सर्वप्रथम एकात्म मानवदर्शन विषयक दो बौद्धिक दिये थे। उसके उपरांत देशभर में उन्होंने इस विषयक पर भाषण, व्याख्यान व बौद्धिक दिये।

कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने बताया कि भूपाल नोबल्स संस्थान 103 वर्ष पूरानी संस्था है जहाँ अनेक महापुरूषों ने अपना जीवन यहाँ से शुरू किया है और यह उनकी कर्मभूमि रही है स्मृति को पुनः याद करने के उद्देश्य से यह समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। प्रो. छीपा ने बताया कि इस समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति, भूपाल नोबल्स संस्थान व राजस्थान विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जायेगा। प्रारम्भ में समिति के सहसचिव नीरज कुमावत ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम विषयक जानकारी दी। बैठक में दो दिवसीय आयोजन में संगोष्ठी में सत्रों का आयोजन, शोध पत्रों की प्रस्तुति व प्रकाशन, सार्वजनिक कार्यक्रम व 1964 के एकात्म मानवदर्शन साक्षियों का सम्मान करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा, भूपाल नोबल्स संस्थान के प्रबंन्ध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड़ रुपाखेडी, गौतम बुद्ध विवि के पूर्व कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, मगन जोशी, डॉ. अनिल कोठारी, डॉ. सिद्धार्थ शर्मा आदि मौजूद रहे।

अवैध शराब बरामद

उदयपुर,(कासं)। बैकरिया थाना पुलिस ने दुकान पर दबीश देकर दो लाख की अवैध शराब जब्त कर दुकान संचालक को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्रसिंह के सुपरविजन में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान बैकरिया थानाधिकारी उत्तमसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्नू की सूचना पर बैकरिया रोड़ पर स्थित चाय नाश्ते की होटल के समीप कमरे पर दबीश देकर दो लाख रूपये की अवैध शराब के 95 कर्टन जब्त कर दुकान संचालक हरिराम गरासिया निवासी भवरा खेत को गिरफ्तार किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली 35 सुरक्षा सखियों का हुआ सम्मान

उदयपुर-डूंगरपुर, (कासं)। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर राजेश मीणा के निर्देशन में रेंज के सभी जिलों में बाल एवं महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों का सम्मान समारोह बुधवार को उदयपुर रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रतनू ने कहां कि समाज में सुरक्षा सखी की अहम भूमिका है, आमजन एवं पुलिस के बीच सेतु बनाने का कार्य सुरक्षा सखी का है। महिलाएं संवेदनशील होती है और सुरखा सखियों का दायित्व है कि हर जरूरतमंद व पीडित महिला को सुरक्षित एवं सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें और उन्हें वर्तमान परिपेक्ष्य के प्रति जागरूक करते हुए आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का प्रयास करें। रेंज स्तर पर सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियों के सुदृढीकरण पर चर्चा करते हुए श्री रतनू ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हमारे समक्ष रेंज के सभी जिलों से महिलाओं के लिए कार्य करने वाली सुरक्षा सखियां सहयोग के उदाहरणो के साथ उपस्थित है। उन्होंने सभी सुरक्षा सखियों का पुलिस विभाग में योगदान के लिए आभार जताते हुए कहा कि कि समाज मे किसी भी वर्ग के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए सभी को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज में बेटियों को शिक्षित व जागरूक करते हुए अभिभावकों के निर्णय के अनुसार बेहतर भविष्य का निर्माण करने और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने व अन्य सभी को भी मोबाइल का सीमित व सदुपयोग करने का आव्हान किया गया।

विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता ने बालकों की सुरक्षा और विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल संरक्षण हम सभी का दायित्व है। ऐसे में आप पुलिस विभाग के सहयोग से अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए बाल संरक्षण को प्राथमिकता देवे। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं बाल श्रम के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए 1०98 या अन्य हेल्पलाइन नंबर या संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए स्थापित वन स्टॉप सेंटर, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, महिला हेल्प डेस्क आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लखपति दीदी योजना के साथ महिलाओं के संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चेतना भाटी ने बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा संबंधित मुख्य समस्याएं तथा उनसे जुडे कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और कहा कि परिवार एवं समाज में महिलाओं की अहम भूमिका है। आप सभी महिलाओं के बीच जाकर कार्य कर रही है यह अच्छी बात है एक महिला की भावना दूसरी महिला सहजता से समझ सकती है। हम किसी जरूरतमंद या पीडित महिला के बीच रहकर उसे सहयोग करते है तो उसका आत्मविश्वास बढता है और उसे संबल मिलता है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
जयपुर पीठ के समक्ष

प्रपत्र संख्या एनसीएलटी 3ए
याचिका के विवरण का विज्ञापन
[राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 के नियमा 35 के अंतर्गत]

कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर/2025
जो संबंधित है
कंपनी योजना आवेदन (सी.ए.ए) संख्या 01/230-232/जेपीआर/2025 के साथ

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 2" / "समामेलक कंपनी 1"), हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 3" / " समामेलक कंपनी 2") और हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 4"/" समामेलक कंपनी 3") का उनके संबंधित शेयरधारकों व लेनदारों के जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 1"/"समामेलित कंपनी") में समामेलन और व्यवस्था की योजना के संबंध में।

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
CIN: L74999RJ1938PLC019511
एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान – 307019 में स्थित है
...याचिकाकर्ता कंपनी 1/समामेलित कंपनी

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड
CIN: L26943RJ1993PLC007267
एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय श्रीपति नगर, सीएफए, डाकघरः डबोक, उदयपुर – 313022, राजस्थान में स्थित है
...याचिकाकर्ता कंपनी 2/समामेलक कंपनी 1

हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
CIN: U74899RJ1993PLC096253
एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान – 307019 में स्थित है
...याचिकाकर्ता कंपनी 3/समामेलक कंपनी 2

हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: U23941RJ2012PLC096250
एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान – 307019 पर स्थित है
...याचिकाकर्ता कंपनी 4/समामेलक कंपनी 3

कंपनी याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समामेलित कंपनी में तथा उसके साथ समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 के समामेलन के लिये समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 तथा समामेलित कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के समामेलन और व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 (**"नियम"**) के अंतर्गत दाखिल की गई कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर 2025 (**"याचिका"**) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर पीठ (**"एनसीएलटी"**) द्वारा दिनांक 17.04.2025 को स्वीकृत किया गया, और उसी तिथि को माननीय एनसीएलटी ने कुछ दिशा-निर्देश (जैसे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणो को सूचना भेजने और इस विज्ञापन के प्रकाशन हेतु) जारी किए हैं।

नियम 16 और माननीय एनसीएलटीके निर्देशों के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के समक्ष इस याचिका की अगली सुनवाई की तारीख अब 29.05.2025 नियत की गई है।

यदि कोई व्यक्ति इस याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहते हों, तो वे याचिकाकर्ता कंपनी 1 के नीचे हस्ताक्षरित प्रतिनिधि या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को अपना नाम और पता युक्त स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना याचिकाकर्ता कंपनी 1 या अधोहस्ताक्षरी के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह याचिकाकर्ता कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के कार्यालय में उपर्युक्त सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पहले प्राप्त हो जाये। यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे उक्त सूचना के साथ विरोध के आधारों के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा। उसके लिये निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रतिउपलब्ध करायी जायेगी।

याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता,
कल्पतरु त्रिपाठी, अधिवक्ता
केटी एडवाइजर्स एलएलपी
सीआईएसआरएस हाउस, 14 जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014

कृते **जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड**
हस्ताक्षर
अमित चौरसिया
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 मई, 2025